भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3818

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

पोषण प्रदायगी सहायता प्रणाली

3818. श्री अनुराग शर्मा:
श्री पी.पी. चौधरी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण-2.0 कार्यक्रम के लिए आवंटित की जा रही निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पोषण प्रदायगी सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ करने और उनमें पारदर्शिता लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए पोषण संबंधी मानक/मानदण्ड तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा और मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड) गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए गुणवत्ता परीक्षण तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(च) उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में, विशेषकर झांसी और पाली संसदीय क्षेत्रों में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं और इन केन्द्रों से कुल कितने लाभार्थियों ने सेवाएं प्राप्त की हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : मिशन पोषण 2.0 का बजट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिशन (अनुपूरक पोषण, आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए स्कीम) के तहत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अतिरिक्त आवश्यकता के मामले में अनुपूरक अनुदान के समय वित्त मंत्रालय से संशोधित बजट आबंटन की मांग की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान, स्कीम के लिए

क्रमशः 20263.07 रुपये और 20554.31 रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन राज्यों द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं और उनके अव्ययित राशि के आधार पर किया जाता है।

(ख) पोषण 2.0 के तहत, सरकार ने एक आईसीटी एप्लिकेशन अर्थात पोषण ट्रैकर के रूप में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है, जिसे मिशन पोषण 2.0 के तहत लगभग वास्तविक समय प्रगति की निगरानी के लिए दिनांक 1 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग बच्चों में ठिगनापन , दुबलापन और कम वजन की व्यापकता की गतिशील पहचान और अंतिम व्यक्ति तक पोषण सेवा प्रदायगी के अंतिम मील ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है। एप्लिकेशन प्रमुख व्यवहारों और सेवाओं पर परामर्श वीडियो भी प्रदान करता है जो जन्म की तैयारी, प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल, स्तनपान और अनुपूरक आहार पर संदेश प्रसारित करने में मदद करता है। यह प्रणाली परिभाषित संकेतकों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और लाभार्थियों की वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम बनाती है। लाभार्थी निवारण तंत्र पोषण 2.0 का एक अभिन्न अंग है। पोषण ट्रैकर में चिंताओं/शिकायतों को उठाने के लिए एक वेब आधारित और एक एप्लीकेशन आधारित सुविधा है। लाभार्थी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ सीधे अपनी चिंताओं को साझा कर सकते हैं। इसके अलावा, चिंताओं/प्रश्नों को दर्ज करने के लिए नवंबर 2022 में संचालित पोषण हेल्पलाइन (14408) उपलब्ध कराई गई है। हेल्प लाइन के माध्यम से एक लाभार्थी मिशन पोषण 2.0 के तहत दी जाने वाली सेवाओं के बारे में चिंता व्यक्त कर सकता है।

(ग) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) की आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोषण संबंधी मानदंडों के अनुसार अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाता है। हाल ही में, इन पोषण मानदंडों को संशोधित किया गया है और 25 जनवरी, 2023 को अधिसूचित किया गया है। संशोधित पोषण मानदंड गुणवत्ता प्रोटीन, स्वस्थ वसा और 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जस्ता, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12) प्रदान करने के लिए आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर अनुपूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता के संदर्भ में अधिक व्यापक हैं।

(घ) 13 जनवरी, 2021 को जारी अनुपूरक पोषण के प्रदायगी में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही संबंधी दिशा-निर्देशों को सुव्यवस्थित करने में राज्य, जिला, ग्राम और सामुदायिक स्तर पर स्कीम की निगरानी के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है। इसके अलावा, मिशन पोषण 2.0 के दिशा-निर्देशों में सेवा प्रदायगी की बेहतर पारदर्शिता के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा के तंत्र पर प्रकाश डाला गया है। स्कीम के दिशा-निर्देशों में सिफारिश की गई है कि नियमित निगरानी के लिए पोषण पंचायतों, माताओं के समूहों और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता तथा पोषण समितियों जैसे सामुदायिक स्तर पर हितधारकों द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा की जाएगी। साथ ही, यह सिफारिश की जाती है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति, सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि के साथ यादृच्छिक आधार पर स्पॉट चेकिंग करनी चाहिए।

(ङ) अनुपूरक पोषाहार के प्रदायगी सहित स्कीम का प्रशासन और कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है क्योंकि यह स्कीम एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। तथापि, स्कीम के दिशा-निर्देशों में सिफारिश की गई है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा के मानदंडों के साथ-साथ पोषक तत्वों की

संरचना के संदर्भ में प्रदान किए गए अनुपूरक पोषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे और आवधिक जांच करेंगे और केन्द्र सरकार द्वारा जारी सुव्यवस्थित दिशा-निर्देशों के अनुसार खाद्य गुणवत्ता मानकों और परीक्षण का पालन करने के लिए एफएसएसएआई के स्वामित्व/पंजीकृत/पैनलबद्ध/मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुपूरक पोषण की जांच कराएंगे। इसके अलावा, यह भी सिफारिश की गई है कि आंगनवाड़ी केन्द्र या ब्लॉक स्तर पर स्टॉक प्राप्त होने के बाद आंगनवाड़ी सेवा कार्मिकों द्वारा यादृच्छिक परीक्षण किया जाए। आंगनवाड़ी सेवा कार्मिकों अर्थात सीडीपीओ या पर्यवेक्षक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नमूने लेंगे और एफएसएसएआई के स्वामित्व वाली/पंजीकृत/पैनल/एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए नमूना भेजेंगे। डीएम के तहत जिला पोषण समिति यादृच्छिक रूप से चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में टीएचआर का आवधिक परीक्षण सुनिश्चित करेगी।

(च) जुलाई 2023 तक , उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में विशेष रूप से झाँसी और पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या और पोषण ट्रैकर में नामांकित लाभार्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/जिला	आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
उत्तर प्रदेश	189045	21718597
झाँसी	1379	144367
राजस्थान	61874	4636094
पाली	1834	145496

******